संख्या-45/2023/001-194-22-4-2023-48-28-2013

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 29 मार्च, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष-2022-23 में केन्द्रीय कारागार इटावा के निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त रोकी गयी 5 प्रतिशत धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-10208/नम-4/195/भाग-3 इटावा, दिनांक 24-03-2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2022-23 में केन्द्रीय कारागार इटावा के निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त रोकी गयी 5 प्रतिशत धनराशि **रू0 1361.57 लाख (रूपया तेरह करोड़ इकसठ लाख सत्तावन हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृति धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्रावधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) प्रश्ननगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय उसी मद में किया जायेगा।

(3) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग एवं कार्य दिनांक 31-03-2023 तक कर लिया जाय।

(6) कार्य से संबंधित कार्यदायी संस्था से कार्य के संपरीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जाए।

(7) महानिरीक्षक कारागार द्वारा यह सुनिश्चित करने के उपरान्त ही धनराशि का भुगतान किया जाए कि कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं कार्य की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है।

(8) इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत नियमों, शर्तो, प्रतिबंधों आदि का नियमानुसार पूर्णत: पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 13,61,57,000 (रुपये तेरह करोड़ इकसठ लाख सत्तावन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008000800 कारागारों का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-45 /2023/001-194(1)-22-4-2023-48-28-2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविलआडिट), उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।।
(5) जिलाधिकारी, इटावा।
(6) अधीक्षक/वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार इटावा।
(7) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(8) प्रबंधक निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ।
(9) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश।
(10) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanades

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।